



Ref: SD:208/209/274/275:2025-26

30.09.2025

The Vice President BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai - 400 001 Scrip Code: 532483	The Vice President Listing Department National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza Bandra-Kurla Complex, Bandra [E] Mumbai - 400 051 Scrip Code: CANBK
---	--

Dear Sir/Madam,

Sub: Transfer of Equity Shares of Canara Bank to Investor Education and Protection Fund (IPEF) – Newspaper Publication

We enclose herewith the copy of newspaper publications in Business Standard (English), Amar Ujala (Hindi) and Vijayavani (Kannada) on 30.09.2025 regarding Transfer of Equity Shares of Canara Bank to Investor Education and Protection Fund (IPEF).

This is for your information and records.

Yours faithfully,

Santosh Kumar Barik
Company Secretary

सचिवीय विभाग

प्रधान कार्यालय
 112, जे सी रोड, बैंगलुरु - 560002
 E-Mail - hosecretarial@canarabank.com

Secretarial Department

Head Office
 112 J C Road, Bengaluru - 560002
www.canarabank.com

F +91 80 22248831
 T +91 80 22100250

Destocking prior to GST 2.0 may impact FMCG sales in Q2

SHARLEEN D'SOUZA
Mumbai, 29 September

Fast-moving consumer goods (FMCG) companies are expected to see pressures on their performance, especially on the top line, in the July–September quarter, as buying from distributors took a hit while the trade slowed down their purchases in anticipation of new stock with updated maximum retail prices (MRP). The government had announced changes to the goods and services tax (GST) on many categories, which led to a cut in MRP from September 22.

The government had reduced GST rates on items ranging from food products to shampoos and soaps.

Distributors from the Central, Western, and Eastern regions have seen muted growth. While distributors typically pick up stock ahead of the festival season, as secondary sales (sales from distributors to retailers) also see an up tick, this time they are witnessing some weakness.

A distributor from the Western region said that while primary sales (sales from companies to distributors) have picked up since September 22, the same recovery has not been seen from retailers.

The distributor in the West explained: "The quarter (July–August–September) has not looked great, and sales have seen muted growth as buying had slowed down and also halted for around four to five days ahead of the implementation of the new GST rates. But even with the new rates kicking in, there is some weakness in buying from retailers."

Another distributor from the East reported the same trend in the region and added that smaller retailers and wholesalers are stuck with old stocks, which is causing them to focus on liquidating those stocks before making new purchases at updated prices.

In Central India, a distributor said that while there is demand, companies have been pressuring them since September 22 to increase their stock quantities. He added that competitive intensity has increased in the region as companies aim to gain market share across categories.

"While consumption is growing, buying was not really impacted ahead of the implementation of GST, but we have to pick up much higher quantities of stock now after the implementation."



Facing the heat

- Secondary sales witnessing a slowdown as the channel is focused on destocking
- In South India, distributors are facing the impact of the growing dominance of quick commerce
- HUL says it expects consolidated business growth to be near flat to low single digit for the July–September quarter

tion," the distributor said. In the South, while the story remains the same, the emergence of quick commerce (qcom) has also crimped sales, as the transition to the new rates has been quicker.

A distributor explained: "Business has been severely impacted due to a huge shift in sales happening in qcom, and stocks are lying at retail outlets."

Hindustan Unilever said in an exchange filing last week: "The latest GST reforms are a positive step by the government to drive consumption. While this measure supports long-term consumption, we have observed a transitory impact in the form of disruptions at distributors and retailers across channels, as they attempt to clear existing inventories at old prices. The disruption has resulted in the postponement of ordering in anticipation of receiving new stocks with updated prices and lower orders across the overall portfolio as consumers delayed their pantry buying."

It added: "This has led to a short-term impact on sales in September. Given our existing pipeline inventory in the channels, we expect this impact to continue into October as well."



86/25/26

Bank of Baroda, Information Security Department, Mumbai invites bids for Selection of Consultant Firm for providing ISO 27001:2022 Certification Services through GeM portal. Details are available under Tenders Section of Bank's website www.bankofbaroda.bank.in. Any Addendum/Corrigendum including modification in the bid shall be notified only on Bank's official website. Bidders should refer the same before submission of their bids. GeM Bid Reference No: GEM/2025/B/6726232. Last date of submission of online bids: 28 October 2025 up to 15:00 hrs IST. Place: Mumbai Date: 30.09.2025 Group Chief Information Security Officer

86/25/26

Request For Proposal – Selection of Insurance Company for providing Insurance Cover against Unauthorised Electronic / Fraudulent Digital Transactions. Details are available on Bank's website <https://bankofbaroda.bank.in> under Tenders section & on GeM portal.

"Addendum", if any, will be published on Bank's website <https://bankofbaroda.bank.in> under Tenders section & on GeM portal. Bidder must refer the same before final submission of the proposal. Last date for bid submission: 21st October 2025.

Place: Vadodara Date: 29.09.2025 Chief General Manager (Digital Banking)

86/25/26

Tender Notice

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26

86/25/26


86/25/26

86/25/26

86/25/26

आमर उजाला

शारदीय नवरात्र...मां महागौरी



सहारा ने एंबी वैली अदाणी को बेचने की मांगी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट से सहारा शहर समेत कुल 88 संपत्तियों की बिक्री से कोर्ट कहा, संपत्तियों की बिक्री से कोर्ट के आदेश का पालन भी होगा

अमर उजाला ब्लूरे



एंबी वैली

नई दिल्ली। कर्ज में डूबे सहारा समूह की फर्म सहारा इंडिया कॉर्पोरेशन लिएर (एसआईसीसीएल) ने लखनऊ में सहारा शहर, महाराष्ट्र में एंबी वैली समेत अपनी कई संपत्तियों अदाणी प्रॉपर्टीज को बेचने के लिए सुनील कोर्ट का रुख किया है। फर्म ने इन संपत्तियों को बेचने की अनुमति मांगी है। शेष अदालत 14 अक्टूबर को एस अर्जी पर सुनावना करेगी।

बकली गौतम अवस्था के जरिये लाखिल याचिका में सहारा समूह ने 88 संपत्तियों की बिक्री के लिए एसआईसीसीएल और अदाणी प्रॉपर्टीज प्रा. लि. के बीच 6 सितंबर की टर्म शीट के तहत लेन-देन की अनुमति मांगी है। समूह ने कहा, शहरावित लेन-देन के सम्बन्ध में जमा की गई पूरी धनवारिंशिर्फ अवेदक और एक बहुत्पूर्ण सफलता है। इसमें से एक इन संपत्तियों की परिवर्तन कीमत मिलेगी, बिक्री ये अदालत के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने में भी अभी है।

याचिका में कहा गया कि इस अदालत से समय-समय पर पारित अदाणों के पालन और अदालत का एसआईसीसीएल और अदाणी प्रॉपर्टीज प्रा. लि. के बीच 6 सितंबर की टर्म शीट के तहत लेन-देन की अनुमति मांगी है। समूह ने कहा, शहरावित लेन-देन के सम्बन्ध में जमा की गई पूरी धनवारिंशिर्फ अवेदक और एक बहुत्पूर्ण सफलता है। इसमें से एक इन संपत्तियों की परिवर्तन कीमत मिलेगी, बिक्री ये अदालत के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने में भी अभी है।

सेबी नहीं बेच पा रही परिसंपत्तियां इसलिए हमें दी जाए अनुमति एसआईसीसीएल ने कहा, प्रतिष्ठित एस्टेट ब्रोकरेज कंपनियों की संसारें लेने के बावजूद भारतीय प्रतिभूति एवं विनियोग बोर्ड (सेबी) सहारा समूह की परिसंपत्तियों को बेचने में असम्भव है। अब तक सेबी-सहारा रिफिल खाते में जमा की गई पूरी धनवारिंशिर्फ अवेदक और एक बहुत्पूर्ण सफलता है। इसमें से कोर्ट के लिए जमा की गई है।

फर्म ने कहा, सहारा प्रमुख सुख रोगी की 2023 में मृत्यु के बाद समूह ने अपने इकाईतौरे बड़े फैसले लेने वाले मुश्किलों को खो दिया है। अब तक सभी देशी लेते थे। एसआईसीसीएल ने शीर्ष अदालत से उसे संपत्ति बेचने की अनुमति देने की मांग की है।

समूह ने कहा-अब तक नहीं मिले सकारात्मक नीतीजे

एसआईसीसीएल ने कहा कि मैंजूदा बाजार क्षितिजियों, व्यवहारी प्रस्तावों के अभाव और कई सूक्ष्मदों के लिंगित रहने के कारण प्रयासों से कोई सकारात्मक नीतीजा नहीं निकला, जिससे साधारित रूप से खोटाई का विश्वास कम हुआ। संपत्तियों की बाजार क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। केंद्र जांच एसेंसी की आरोपी से परिवर्तन के सदस्यों और सहारा समूह के अविरचित अधिकारियों के खिलाफ पुछात शुरू करने से यह प्रयास और जांच लिया गया है। यह कारंवायावा ने सिविल जायकांडों के मन में भ्रम, विशेषाभास और अनुचित संदेश देने की गयी है, बल्कि सहारा समूह के परिसंपत्तियों को बेचने और अदालत के निवेशों के पालन में भी आधा डाल रही है।

निवेशकों के नहीं लौटाए थे पैसे...सहारा समूह की विभिन्न कंपनियों में देश के 13 करोड़ निवेशकों ने राशि लगाई ही। इन्हें परिवर्तन राशि के साथ रकम लौटाने का बाद किया था। निवेश के लिए एंजेंटों ने लोगों को लालच भी दिया। आरोप है कि कंपनी ने निवेशकों के पांच लाख करोड़ रुपये देने की लौटाए।

समूह 24,030 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये का वितरण करने का जमाकर्ताओं का बकाया चुकाने में आदेश दिया था। ये रकम सहारा समूह की ओर से सेबी के पास जमा होती है।

प्रीएम जारी करेंगे संघ शताब्दी वर्ष का स्मारक डाक टिकट और सिक्का



नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी वर्ष के मद्देनजर भवधार को स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। 1925 में विजयदशमी के दिन राष्ट्रियत अराधास्पैस बृहस्पतिवार को अपन 100 वर्षों के बाद लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर को सहारा समूह की ओर से सेबी के पास जमा करेंगे।

केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम

A Government of India Undertaking

Together We Can

प्र.का., 112, जे.सी.रोड, बैंगलूरु-560 002

केनरा बैंक के इक्विटी शेयरों को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरण संबंधी सूचना

यह सूचना बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 वीं, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) के साथ निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, अंतरण और धन वापसी) नियम, 2016 ("नियम") के नियम 6 के अनुसार प्रकाशित की जाती है। उक्त नियमों के अनुसार, ऐसे शेयर जिन पर लगातार सात वर्षों से लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उन शेयरों को आईईपीएफ में अंतरण करना अनिवार्य है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए दावा न किए गए/अदत लाभांश को दिनांक 11.11.2024 को आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया और वित्तीय वर्ष 2014-15 (पूर्ववर्ती सिंकिट बैंक से संबंधित) के लिए दावा न किए गए/अदत लाभांश को दिनांक 25.08.2022 को आईईपीएफ में अंतरित किया गया है। तदनुसार, ऐसे शेयर जिन पर लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय से लाभांश का दावा न किए गए/अदत रहा, उक्त दिनांक 31.12.2025 को आईईपीएफ में अंतरण किया जाएगा।

उक्त नियमों के अनुपालन के आलोक में, वैसे संबंधित शेयरधारक (धारकों) जिन्होंने पहले अपने शेयरों का दावा न किया है और जो वार्तामान में अदत स्थिति में है और आईईपीएफ में अंतरण किए गए योग्य है, को बैंक द्वारा दिनांक 29 सितंबर 2025 के विशेष संप्रेषण पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि वे दिनांक 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले अपने लाभांश का दावा कर लें। ऐसा न करने की स्थिति में उनके द्वारा रखे गए शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित कर दिया जाएगा।

संबंधित शेयरधारक जो भौतिक रूप से शेयर रखते हैं, कृपया ध्यान दें कि उन्हें मूल शेयर प्रमाणपत्र के स्थान पर नया शेयर प्राप्त किया जाएगा। ऐसी स्थिति में शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतं धीर हो जाएंगे और तें और पैर-प्रकाश नाम जाएगा। डीमेट फॉर्म से शेयर रखने वाले शेयरधारकों के डीमेट खाते में पढ़े हुए शेयरों को आईईपीएफ के पक्ष में अंतरित कर दिया जाएगा। संबंधित शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि ऐसे शेयरों पर भविष्य में होने वाले सभी लाम भी आईईपीएफ को अंतरित कर दिए जाएंगे।

बैंक ने शेयरधारकों के नाम, फोलियो नंबर / डीपी आईडी क्लाइंट आईडी के साथ आईईपीएफ को अंतरित किए जाने वाले शेयरों का पूरा विवरण बैंक की वेबसाइट <https://canarabank.bank.in/shareholder-information> पर अपलोड कर दिया है।

कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम एवं नियमों के अनुसार, एक बार आईईपीएफ में अंतरित होने के बाद दावा नहीं किया जाएगा।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि दावा न किए गए/अदत लाभांश राशि और आईईपीएफ के डीमेट पत्रों को फॉर्म आईईपीएफ-5 में अँगलाइन आवेदन करके पुस्तक कॉर्पस आईईपीएफ-5, जैसा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंगालाय द्वारा निर्धारित किया गया है, कॉर्पोरेट मामलों के वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

अधिक जानकारी या सहायता हेतु बैंक के निम्न पते पर बैंक / केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) से निप्पलियित किया गया है।

पाकिस्तान शासन के खिलाफ पीओजे के मांड़कों पर उतरे लोग

पुज्योंग से दुर्घटवार पर रद्द हो जाएगी गिफ्ट डीड़ : हाईकोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुजुर्गों के साथ हो रहे दुर्घटवार पर चिंता जताई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बुजुर्ग अपने परिवार के सदस्यों को जो उपहार देते हैं तो उसके मालियों के बाद वार्ता नहीं की जाएगी।

वार्ता में जारी करेंगे संघ शताब्दी वर्ष का स्मारक डाक टिकट और सिक्का

बुजुर्गों से दुर्घटवार पर चिंता जताई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बुजुर्ग अपने परिवार के सदस्यों को जो उपहार देते हैं तो उसके मालियों के बाद वार

